न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

राजपाल बनाम् पप्पुराम

प्रकरण संख्या ५५/2026

अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट जी.सी.एम.एस नं.–2026/

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
04-06-2026	आज यह पत्रावली प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री शिवरतन गोदारा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। वकील प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशीं तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके **चक 2 एम एस आर मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–304/437 का किला नं.–6, 8 ता 15 प्रत्येक का 0.253, 16/2 का 0.126, 17/2 का 0.127, 18/2 का 0.126 हैक्टर कुल 2.656 हैक्टर** कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशीं तक प्रार्थी के हिस्से तक **रिकॉर्ड की यथास्थिति** बनाकर रखें। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना रजि. नोटिस से पेश करे। रजि. नोटिस की पोस्ट ऑफिस रसीदे 7 दिवस के अन्दर पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर स्वतः निरस्त मानी जावेगी। बहस हेतु अवसर चाहने पर उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने का विचार किया जा सकेगा। पत्रावली आईन्दा **दिनांक 25.06.2026** को पेश हो। सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
8/6/26	पत्रावली आज मूल वाद के प्रार्थना-पत्र पेश होने पर पेशी में ली गई। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना-पत्र धारा 5TA औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर रिकार्ड नं. से कक्ष हो। [signature] सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
[signatures] Ibyme Pawan		